समाहरणालय पूर्णियाँ

(जिला योजना कार्यालय)

पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 09/2021–22

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में माननीय स0वि0प0, डॉ0 संजीव कुमार सिंह द्वारा पूर्णियाँ जिला के 14 विद्यालयों में पुस्तक एवं बुकसेल्फ क्रय हेतु अनुशंसा की सूची उपलब्ध करायी गयी है। उक्त के आलोक में पुस्तक एवं बुकसेल्फ क्रय हेतु निबंधित एवं ख्याति प्राप्त प्रकाशकों/वितरकों से जिन्हें ISO प्रमाण–पत्र प्राप्त है, से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दोनों अलग–अलग मुहरबंद लिफाफा में बन्द कर एवं दोनो अलग–अलग लिफाफा पर वित्तीय निविदा एवं तकनीकी निविदा अंकित कर पुनः दोनो को एक बड़ा लिफाफा में डालकर सीलबन्द कर बड़े अक्षरो में "**मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत पुस्तक एवं बुकसेल्फ हेतु निविदा**" लिखा हो, निविदा आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक निविदादाता पुस्तक एवं बुकसेल्फ की विशिष्टियाँ की प्रति जिला योजना कार्यालय से दिनांक 25/8/2021 तक किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त कर सकते है तथा दिनांक 26/8/2021 को अपराहन 12 बजे तक निविदा प्राप्त किये जाएंगे और उसी दिन 2 बजे अपराहन में अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदादाताओं की उपस्थिति में जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा।

निविदा में निम्न शर्त्तों का अनुपालन आवश्यक है:–

तकनीकी निविदा की शर्तेः–

1. निविदादाता को विगत 03 वर्षो का आयकर रिटर्न का छायाप्रति एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता को औसतन टर्न ओवर 50.00 (पचास लाख रूपये) का संलग्न करना होगा। (सत्यापन के लिए चाटर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा Audited Profit & Loss और Balance Sheet संलग्न करना होगा)
3. मो0 50000.00 (पचास हजार रूपये) मात्र का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा से जिला योजना पदाधिकारी के पदनाम से निर्गत बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।
4. निविदादाता को ख्याति प्राप्त/प्रकाशक/प्राधिकृत आपूर्तिकर्त्ता/सरकारी/अर्द्ध सरकारी होने संबंधी प्रमाण--पत्र संलग्न करना होगा।
5. निविदादाता को समरूप कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र/कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
6. आपूर्तिकर्त्ता को काली सूची में दर्ज नही होने का NOTARY PUBLIC द्वारा शपथ–पत्र देना होगा।
7. **बुकसेल्फ का साईज** Size1850×900×400 MM Material : High Quality CRC 0.7 mm thick with environment protection electrostatic powder coated/sliding with channels/ high quality lock and handle/ 4 selves / knockdown in multilayer cartoon box with polyfoam inner lining. होना अनिवार्य होगा।
8. क्रय की जाने वाली पुस्तकों के टाईटिल पृष्ट एवं मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन मान्य नही होगा।
9. बाल साहित्य के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें 60 पृष्ट से कम रहने पर मान्य नही होगा।
10. क्षतिग्रस्त अथवा न्यूजप्रिन्ट पर छपी पुस्तकें स्वीकार नही की जाएगी।
11. अनुशंसित सभी पुस्तकों की एक प्रति नमूना के रूप में निविदा के समय उपलब्ध करवाना होगा। प्राप्त नमूने की पुस्तकें लौटाई नही जाएगी और न उसका मूल्य देय होगा।
12. पुस्तकों की दर सभी कर एवं परिवहन शुल्क सहित अंकित होनी चाहिए।
13. एक पुस्तक 1000/– रूपया एकल का नही होगा।

14. बिहार के क्षेत्रीय भाषाओं एवं बिहार के प्रमुख रचनाकारों की पुस्तकों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रत्येक पुस्तक अधिमानतः आई0एस0बी0एन0 संख्या के साथ चयनित की जायेगी।

15. National Book Trust, NCERT प्रकाशन विभाग या अन्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी प्रतिष्ठानों की पुस्तकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

वित्तीय निवदा की शर्त्तें :–

16. पुस्तकों के क्रय हेतु छूट की निम्नांकित न्यूनतम दरें निर्धारित होगी :–

(क्र)	01 से 10 प्रतियों पर	10 प्रतिशत
(ख)	11 से 25 प्रतियों पर	15 प्रतिशत
(ग)	26 से 100 प्रतियों पर	20 प्रतिशत
(घ)	101 से 200 प्रतियों पर	25 प्रतिशत
(ङ.)	201 से 500 प्रतियों पर	30 प्रतिशत
(च)	501 से उपर प्रतियों पर	35 प्रतिशत

17. प्रकाशन उपर्युक्त निर्धारित छूट से यदि अधिक छूट देना चाहे तो उन्हें स्पष्ट देय छूट की दर अंकित करना होगा।

18. नमूने के रूप में पुस्तकों का रेल पार्सल स्वीकार नही की जायेगी।

सामान्य शर्त्तें :–

19. नमूने के रूप में प्रस्तुत पुस्तकों में निम्नांकित सूचनाएँ निश्चित रूप से अंकित की जाय।
(क) पुस्तक का नाम :–
(ख) लेखक का नाम एवं पूरा पता :–
(ग) प्रकाशक का नाम एवं पूरा पता :–
(घ) विषय :–
(ङ.) पृष्ट संख्या :–
(च) साजिल्द/आजिल्द एवं मूल्य मुद्रित।

20. नमूने की एक–एक प्रति कार्यालय अवधि में विशेष दूत अथवा (डाक पार्सल) द्वारा निविदा प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर प्राप्त की जायेगी। इसके लिए सरकार द्वारा किसी प्रकार का व्यय वहन नही किया जाएगा।

21. पुस्तकों की आपूर्ति आदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर संबंधित संस्थानों में करनी होगी।

22. उप विकास आयुक्त, पूर्णियाँ को बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

23. माननीय स0वि0प0, डॉ0 संजीव कुमार सिंह द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले संस्थानों की सूची एवं अनुशंसित पुस्तकों की सूची जिला योजना कार्यालय, पूर्णियाँ से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। साथ हीं इसे पूर्णियाँ जिले के वेबसाईट www.purnea.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

24. निविदा में चयनित आपूर्तिकर्त्ता को कार्यादेश के पूर्व 5 प्रतिशत जमानत की राशि का डिमांड ड्राफ्ट जिला योजना पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पदनाम से तथा पूर्णियाँ शाखा पर देय हो संलग्न करना होगा।

25. उचित गुणवत्ता की पुस्तकें एवं निर्धारित समय अवधि पर आपूर्ति नहीं किये जाने पर Liquidated Damage एवं Panel Provision के तहत जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी। साथ हीं काली सूची में दर्ज करने हेतु कार्यवाही की जाएगी।

उप विकास आयुक्त,
पूर्णियाँ।
3/8/2021